कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ–226001

संख्या–517/सी0ई0ओ0–2–5/2–2016 लखनऊ दिनांक: 19 मार्च, 2019

सेवा में,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
मेरठ।

विषय: **मतदेय स्थलों के संशोधन प्रस्ताव के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि आयोग ने संलग्न पत्र सं0–64/भा0नि0आ0/पत्र/टेरी0/उ0अ0–।।।–उ0प्र0/2018(सम्भाजन), दिनांक 19 मार्च, 2019 द्वारा आपके जनपद से प्रेषित 02 मतदेय स्थलों के संशोधन प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। कृपया इस सम्बन्ध में विधिक प्राविधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

2– भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि मतदेय स्थलों का सम्भाजन करते समय आयोग के पत्र सं0–23/ECI/LET/TERR/NS-III/UP/2018, दिनांक 24 जुलाई, 2018 के बिन्दु 1, 2 व 3 में सन्निहित निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त यह भी पुनः सुनिश्चित कर लिया जाय कि :–

1. संशोधित मतदेय स्थल की सूचियों को प्रकाशित करने से पूर्व एक बार पुनः जॉच करा ली जाय।
2. नये संशोधित मतदान केन्द्रों की जानकारी सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी जाय और निर्वाचन क्षेत्र में इसका व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जाय।

3– सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ई0आर0ओ0 नेट पर तथा कन्ट्रोल टेबल डाटा बेस को संशोधन हेतु सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आगामी 02 कार्य दिवसों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय भेजते हुए अद्यावधिक कराना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय तथा भारत निर्वाचन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(रत्नेश सिंह)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या–517(1)/सी0ई0ओ0–2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली को पत्र सं0–64/भा0नि0आ0/पत्र/टेरी0/उ0अ0–।।।–उ0प्र0/2018(सम्भाजन), दिनांक 19 मार्च, 2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

2– कम्प्यूटर सेल, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि मतदेय स्थलों के संशोधन को कन्ट्रोल टेबल डाटा बेस में तदनुसार अद्यावधिक करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(रत्नेश सिंह)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।